सं. ए.12018/4/2020-डीआर-(भाग.VI)
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(औषधि विनियमन अनुभाग)

*****

दिनांक: 16 अगस्त, 2022

## सूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल),चेन्नई, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रयोगशाला सहायक के पद के भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में भर्ती नियमावली का मसौदा तैयार किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले मंत्रालय द्वारा नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. कृपया टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 407- ए, ' ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011में या drugsdiv-mohfw@gov.in पर भेजें।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

किरण कुमार कर्लापु

(डॉ. किरण कुमार कर्लापु)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:- 011-23062928

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान | चयन या अचयन पद। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| प्रयोगशाला सहायक | 1 | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतनलेवल –2 सहित वेतन स्तर (19900-63200रुपए) | लागू नहीं | 18 और 27 वर्ष के बीच | अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 या समकक्ष योग्यता। |

| क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| आयु– नहीं<br>शेक्षणिक योग्यता-हां | सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा |
| प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| (11) | (12) | (13) |
| आवश्यक योग्यता रखने वाले ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ मल्टी-टास्किंग स्टाफ की | पुष्टि/पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति:<br>1. निदेशक, सीडीटीएल, चेन्नई - सदस्य | लागू नहीं। |

| | | |
|---|---|---|
| <u>पदोन्नति</u> | 2. उप. औषधि नियंत्रक (आई), सीडीएससीओ (एसजेड), चेन्नई- सदस्य<br>3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन कार्यालय/प्रयोगशाला के समूह 'क' अधिकारी - सदस्य | |

[सं. ए.12018/4/2020-डीआर-(भाग.VI)]

(डॉ. किरण कुमार कर्लापु)

उप सचिव, भारत सरकार